न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीधी/भू.रा/2018/0256 /2018 पुनरीक्षण

1. मंगलेश्वर सिंह चौहान पिता स्व.श्री बिहारी सिंह चौहान
2. महेन्द्र सिंह चौहान पिता सव.श्री बिहारी सिंह चौहान

निवासीगण ग्राम–जमोडी, तहसील–गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी, जिला–सीधी म.प्र.

विरूद्व

1. सियावती सिंह गोड पत्नी स्व.सुदर्शन सिंह गोड
2. प्रवीण कुमार सिंह पिता स्व.सुदर्शन सिंह गोड
3. अरविन्द कुमार सिंह पिता स्व.सुदर्शन सिंह गोड़
4. मुनीन्द्र कुमार सिंह पिता स्व.सुदर्शन सिंह गोड़
5. पंकज कुमार सिंह पिता स्व.सुदर्शन सिंह गोड़

निवासीगण ग्राम–जमोडी तहसील–गोपद–बनास थाना कोतवाली, सीधी, जिला–सीधी म.प्र

6. मध्यप्रदेश शासन

श्री S.K. ... द्वारा आज दि. 8-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-1-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर 8.1.17

अपर कलेक्टर जिला–सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04/12/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, कलेक्टर के समक्ष अनावेदको द्वारा नायब तहसीलदार के गोपद बनास गिर्द द्वितीय के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक–18/अ–6/2013–14 को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था।

3. यह कि, कलेक्टर महोदय ने उनके समक्ष दिये गये आवेदन एवं उसमें चाही गयी राहत से पृथक जाकर अपने विवादित आदेश में जो टिप्पणीयां की है वे उनके समक्ष दिये गये आवेदन की परिधि से बाहर एवं न्यायोचित नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/0256

मंगलेश्वर सिंह चौहान व अन्य विरूद्ध सियावती सिंह गोंड आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 89/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	